

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के०तिवारी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग
झारखण्ड।

राँची, दिनांक /6-03-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण / 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	2.14700

कुल आवंटित राशि - रुपये दो लाख चौदह हजार सात सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 9086.87123 लाख (नब्बे करोड़ छियासी लाख सतासी हजार एक सौ तेईस मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

295

राँची, दिनांक :-

16-03-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/दुमका/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूँटी/गढ़वा/गुमला/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

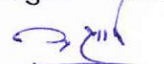
295

राँची, दिनांक :-

16-03-18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां			विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय			राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दूरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरामति	अन्य व्यय	कुल योग	अभिवृद्धि											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, सैथी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	195.000 0.000 195.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.300 0.000 0.300	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	0.300 0.100 0.400	0.400 0.000 0.400	0.125 0.000 0.125	1.000 0.000 1.000	1.600 0.150 1.750	0.500 0.100 0.600	200.425 0.350 200.775											
2	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजना अंचल-3, सैथी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	65.000 0.000 65.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.700 0.100 0.800	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	66.600 0.100 66.700											
3	लघु सिंचाई अंचल-मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	81.710 0.000 81.710	0.000 0.373 0.373	0.200 0.200 0.400	0.800 0.000 0.800	0.550 0.000 0.550	2.477 0.000 2.477	0.300 0.000 0.300	0.070 0.100 0.170	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	84.230 2.850 87.080											
4	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	81.000 -10.000 71.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.600 -0.200 0.400	0.550 0.000 0.550	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	-0.175 -0.025 0.150	0.000 0.000 0.000	1.300 0.000 1.300	0.150 -0.150 0.000	83.975 -10.375 73.600											
5	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-सैथी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	236.000 0.000 236.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.900 0.000 0.900	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.150 0.000 0.150	0.175 0.000 0.175	0.000 0.000 0.000	1.100 0.000 1.100	0.000 0.050 0.050	239.075 0.050 239.125											
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	211.910 0.000 211.910	0.000 0.000 0.000	0.300 0.300 0.600	0.500 0.000 0.500	0.430 0.000 0.430	0.320 0.000 0.320	0.000 0.000 0.000	0.120 0.000 0.120	0.250 0.000 0.250	-0.300 0.000 -0.300	1.100 1.100 2.200	0.100 0.000 0.100	215.330 -0.300 215.030											
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	289.800 0.000 289.800	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.900 1.000	0.500 0.000 0.500	0.670 0.000 0.670	0.000 0.400 0.400	0.000 0.100 0.100	0.650 0.000 0.650	1.000 0.000 1.000	1.150 0.000 1.150	0.000 0.000 0.000	295.070 0.000 295.070											
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-जामताड़ा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	225.560 19.440 245.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.430 0.000 0.430	0.670 0.000 0.670	0.400 0.100 0.500	0.100 0.050 0.150	0.650 0.000 0.650	1.000 0.000 1.000	1.150 0.000 1.150	0.000 0.000 0.000	295.170 19.540 314.710											
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकोरो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	233.150 3.000 236.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.500 0.000 0.500	1.282 0.250 1.532	0.250 0.000 0.250	0.100 0.000 0.100	0.450 0.000 0.450	0.400 0.000 0.400	1.100 0.000 1.100	0.000 0.000 0.000	237.220 3.212 240.432											
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	212.000 0.000 212.000	1.100 1.120 2.220	0.050 0.000 0.050	0.400 0.000 0.400	0.430 0.000 0.430	2.200 0.000 2.200	0.000 0.000 0.000	0.120 0.000 0.120	0.650 0.000 0.650	0.300 0.000 0.300	1.100 0.000 1.100	0.300 0.000 0.300	218.650 1.120 219.770											
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-सैथी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	721.660 0.000 721.660	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.500 0.000 0.500	3.49120 0.000 3.49120	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.170 0.000 0.170	0.850 0.000 0.850	0.700 0.500 1.200	1.500 0.000 1.500	0.300 0.000 0.300	729.171 0.50000 729.671											

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (आर्थिक)

(रमेश कुमार दूरे)
विशेष सचिव

(डी०के०विजय)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में				
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर्रे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ड्राइवर एवं भरणमति	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	लघु सिवाई प्रमंडल-सरायकेला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	322.260 0.000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.500 0.000	0.380 0.000	0.470 0.000	0.000 0.000	0.100 0.000	0.375 0.000	0.150 -0.150	1.100 0.000	0.500 0.000	326.335 -0.150	
13	लघु सिवाई प्रमंडल-साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	322.260 0.000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.500 0.000	0.380 0.380	0.470 0.894	0.000 0.000	0.100 0.000	0.375 0.425	0.000 0.200	1.100 1.100	0.500 0.400	326.185 329.199	
14	लघु सिवाई प्रमंडल-सिमडेगा	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	324.600 202.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.000	1.100 0.500 0.600	0.380 0.430 0.000	0.894 0.050 0.000	0.100 0.200 0.000	0.100 0.050 0.000	0.425 0.275 0.000	0.200 0.250 0.000	1.100 1.100 0.000	0.400 0.300 0.000	329.599 205.155 0.600	
15	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	202.000 98.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.100 0.600 -0.200	0.430 0.450 0.000	0.050 0.000 0.000	0.200 0.000 0.000	0.050 0.000 0.000	0.275 0.150 0.000	0.250 0.000 0.000	1.100 0.800 0.000	0.300 0.000 0.000	205.755 100.000 -0.200	
16	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-रौंदी	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	98.000 123.000 -12.550	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.500 -0.150	0.450 0.600 0.000	0.000 0.300 0.000	0.000 0.300 -0.300	0.000 0.150 0.000	0.150 0.100 0.000	0.000 0.300 0.000	0.800 2.100 0.000	0.000 0.000 0.000	99.800 127.400 -13.000	
17	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	110.450 59.000 -2.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.350 0.200 0.000	0.600 0.300 0.000	0.300 0.000 0.000	0.000 0.200 0.000	0.150 0.100 -0.100	0.150 0.100 0.000	0.300 0.150 -0.050	2.100 1.400 0.000	0.000 0.000 0.000	114.400 61.450 -2.650	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		-2.610	1.493	0.300	0.150	0.100	0.000	0.200	0.000	-0.100	0.000	0.150	0.000	58.800	2.14700

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये स्तर से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो लाख चौदह हजार सात सौ मात्र

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव